न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 01/**20 (प्रा.पत्र)**

जीसीएमएस नम्बर : 00005

1. श्री बाबुडिया पिता दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
2. श्री गणेश पिता दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्रीमती सुशीला बाई पत्नी प्रभूलाल मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
2. श्री प्रभूलाल पिता उंकार बलाई, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
3. श्री बाबुडिया पिता उंकार बलाई, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
4. श्री कालु पिता रामा मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
5. श्री मदन पिता रामा मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
6. श्रीमती सोहनी पत्नी रामा मेघवाल निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
7. श्री मांगू पिता नाथू मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
8. श्री चुना पिता खेमा मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
9. श्री हीरा पिता खेमा मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
10. श्री धर्मा पिता अमरा मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
11. श्रीमती भंवरी पुत्री अमरा मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
12. श्री नाना पिता दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
13. श्री बाबुडिया पिता दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
14. श्री गणेश पिता दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
15. श्री नाना पिता दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
16. श्रीमती रूपी पुत्री दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
17. श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री वाला मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
18. श्रीमती हंजा पुत्री वाला दयाराम मेघवाल, निवासी फलीचडा, तहसील मावली।
19. श्री पटवारी पटवार हल्का फलीचडा तह. मावली।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कैलाश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 10.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फलीचडा, पटवार हल्का फलीचडा में प्रार्थीगण एवं हमारे भाई नानालाल एवं बहिन श्रीमती रूपी के खातेदारी की

आराजी संख्या 1497, 1498, 1499, 1550, 1552, 1556, 1558, 1560, 1561, 1562, 1618 कीता 11 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा है जो हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 15 नाना, व विपक्षी संख्या 16 रूपी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। सामलाती कुआ है जिसमें आराजी चाह नम्बर 1550 रकबा 6 बिस्वा है। आराजी संख्या 1551, 1555 कीता 2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा है जो श्रीमती चुनी एवं श्रीमती हंजा पुत्री वाला के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 952, 956, 1249, 1554, 1557 कीता 5 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा है जो विपक्षी सुशीला पत्नी प्रभूलाल, धर्मा पिता अमरा, भंवरी बेवा अमरा, प्रभू, बाबुडिया पिता उंकार के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। आराजी संख्या 467, 1495, 1496 कीता 3 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा है जो विपक्षीगण सुशीलाबाई, धर्मा, भंवरी, प्रभू, बाबुडिया, चुनी, हंजा के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। ताईद में नक्शा ट्रेस जमाबन्दी संलग्न है।

2. प्रार्थीगण की आराजीयात् 1497, 1498, 1551, 1556 में आने जाने का रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। इसी रास्ते से हम एवं हमारे पूर्वज आने जाने एवं बैल मवेशी, बेलगाडी, ट्रेक्टर लाते ले जाते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा हमारे खेतो में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। विपक्षीगण संख्या 1 सुशीलाबाई एवं विपक्षी संख्या 2 प्रभूलाल एवं विपक्षी संख्या 3 बाबुडिया ने उक्त रास्ते को भुजबल धनबल के आधार पर बंद करने पर आमादा है तथा विपक्षी संख्या 8 चुना ने भी नक्शे में अंकित सी से डी के बीच आराजी संख्या 1550 का रास्ता बन्द करने पर आमादा है। रास्ता सी से डी रेवेन्यु रेकार्ड में 15 फीट चौडा दर्ज है। ए, बी, जी, एच रास्ता है लेकिन रेकार्ड में दर्ज नही है इसलिये विपक्षीगण जबरन आये दिन अवरोध पैदा करते है। जिनको रास्ता बन्द नही करने हेतु पाबन्द करवाना जरूरी है जिसकी राशि रास्ते की जो भी बनती है हम जमा करवाने को तैयार है।

3. ग्राम पंचायत फलीचडा में भी प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2018 को यह प्रस्ताव लिया गया कि रास्ता 12 फीट कुए तक खुला किया गया लेकिन बाद में विपक्षीगण ने रास्ते को बन्द कर दिया है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.11.2017 को जब हम विपक्षीगण खेतो में खडी फसल को काट कर ले जाने लगे तो लडाई झगडा किया व दिनांक 08.11.2017 को थाना फतहनगर में भी मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर उन्हे पाबन्द किया गया। वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं निरन्तर जारी है।

5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा चिन्ह ए से बी एव जी सें एच तक रास्ता 15 फीट चोडा कराया जावे जिसका पैसा डी.एल.सी. रेट से प्रार्थीगण देने को या जमा करवाने को तैयार है। चिन्ह ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच रास्ता वर्षों से बना हुआ है व सी से डी, इ, एफ तक रास्ता 15 फीट पहले से रेवेन्यु रेकार्ड में है खसरा नम्बर 1550 रकबा 7 बिस्वा किस्म रास्ता है उक्त रास्ते से हम आ जा रहे है। आराजी नम्बर 1497, 1498, 1551, 1556, 1558 में जाने का एक मात्र रास्ता है जिसे संलग्न नजरी नक्शा में चिन्ह ए, बी, जी, एच से बताया है लेकिन विपक्षीगण सुशीला, प्रभूलाल व बाबुडिया तीनों ने रास्ता को बन्द कर दिया है जिसे खुलवाया जावें व विपक्षी संख्या 8 चुना पिता खेमा ने भी दक्षिण दिशा में रास्ता बन्द कर दिया है उसे खुलवाया जावें एवं इनको उक्त रास्ता पुनः नही बंद करने हेतु पाबन्द फरमाया जावें। उक्त रास्ता को 15 फीट चौडाई में जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में अंकित फरमाया जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3 से 6, 12 से 16, 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 2, 7, 8 से 11, 17 द्वारा जवाब पेश नही किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त प्रकरण स्वीकार किया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबंध विभाग अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध विभाग एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय खारिज करते हुए पत्रावली इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई की तहसीलदार सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करें, तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतो के आधार पर निर्णय पारित करें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार को उभय पक्षो की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की मौजा फलीचड़ा की आराजी नम्बर 1550 रकबा 0.0567 हैक्टेयर किस्म रास्ता होकर राजस्व रिकॉर्ड में गणेश पुत्र दयाराम 5/16, नानालाल पुत्र दयाराम 5/16, बाबुलाल पुत्र दयाराम 5/16, रूपी पुत्री दयाराम 1/16 जाति मेघवाल सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर आराजी नम्बर 1550 खुला हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु वर्तमान रास्ता एवं वांछित रास्ता की स्थिति संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायी गई है। शेष स्थिति

पूर्ववत है। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की आराजी संख्या 1497, 1498, 1551, 1556 में प्रार्थी द्वारा नक्शा दर्शाया गया है जो कि पूर्ण रूप से गलत बताया गया है। नजरी नक्शे में बताया गये रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा कभी नही किया गया। न ही किसी प्रकार की बेलगाड़ी, मवेशी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। जबकि विपक्षी की उक्त आराजी का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नही किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेतो में आने जाने के लिये आराजी संख्या 1550, 1499, 1549 से होकर आराजी संख्या 1560 की उत्तर दिशा में बने रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है। जिसमें वादीगण सामलाती खातेदार है। कुंए की आराजी संख्या 1549 में भी सामलाती खातेदार है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उक्त कृषि भुमि आराजी सख्या 1495 व 1496 कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता आने जाने का नही रहा है। बल्की प्रार्थीगण हमेशा से ही अपनी कृषि भुमि में आने के लिये आराजी सख्या 1499, 1550 एवं आराजी सख्या 1560 के उत्तर दिशा में बने हुए रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी कृषि भुमि में आने जाने के लिये करते रहे है। प्रार्थीगण मात्र हम लोगो को परेशान करने के लिये इस प्रकार का झुठा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जो चलने योग्य नही है। विपक्षी सख्या 01 व 02 की ओर से उक्त जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो जवाब प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। विपक्षी सख्या 01 व 02 ने कभी भी उक्त लोगो को आने जाने से नही रोका है क्योकि आराजी सख्या 1495, 1496 में कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। उक्त लोगो द्वारा जबरन झुठी रिपोर्ट देकर जबरन हमारी भुमि में से बलपुर्वक हमारी जमीन में से रास्ता निकालना चाहते है।

8. विशेष कथन में निवेदन किया की प्रार्थीगण अपने स्वयं की सामलाती जमीन आराजी सख्या 1560 के उत्तर दिशा में बने रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी 1549, 1499 में से होकर कृषक अपनी आराजी सख्या में आते जाते रहे है। सुविधाजनक रास्ते की आड में नया रास्ता नही बनाया जा सकता है। धारा 251 (क) के प्रावधानो के अनुसार वैकल्पिक रास्ता होने के बावजुद कोई भी नया रास्ते का प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी के स्वयं की कृषि भुमि में आने जाने के लिए कदमी रास्ता उपलब्ध है तो दुसरे चक से रास्ता प्रदान नही किया जा सकता है। जहा पूर्व में रास्ता उपलब्ध नही हो तो वही नये रास्ते का प्रावधान धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किया जा सकता है प्रकरण में पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध रहा

है। अंत में निवेदन किया की विपक्षी सख्या 01 व 02 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता होने से रास्ता नही दिया जाने का निवेदन कर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी की आराजी नम्बर 1497, 1498, 1552, 1556, 1558, 1560, 1561, 1562 पर आने जाने हेतु रास्ता चाह गया है। आराजी नम्बर 1560, 1561, 1562 रास्ते पर ही स्थित है। शेष सभी आराजीयात एक दूसरे से सटी हुई है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आराजी नम्बर 1550 किस्म रास्ता है। जो मौके पर खुला हुआ है। प्रकरण में स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 अ में अंकित किया गया है कि सी से डी, ई से एफ तक रास्ता 15 फीट पहले से रेवेन्यु रिकॉर्ड में है जो खसरा नम्बर 1550 रकबा 7 बिस्वा किस्म रास्ता है उक्त रास्ते से हम आ जा रहे है। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के स्वयं के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान स्पष्ट है कि जिस भूमि पर आने जाने का रास्ता पूर्व से ही है उस भूमि के संबंध में केवल मात्र सुविधा के लिए रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण केवल मात्र सुविधा के लिए विपक्षीगण की भूमि में रास्ता चाह रहे है। जिसके संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नही है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का रास्ता आराजी नम्बर 1550 किस्म रास्ता जिसमें स्वयं प्रार्थीगण ही सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर खुला हुआ है। प्रार्थीगण की कुछ सहखातेदारी आराजीयात मुख्य रास्ते पर ही अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण मुख्य रास्ते से अपनी सहखातेदारी की भूमि में से होते हुए सभी आराजीयात पर आवगमन कर सकते है। प्रकरण में रास्ते की अतिआवश्यकता प्रतीत नही होती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नियमो में वर्णित प्रावधानो के अनुरूप नही होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की भूमि पर आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता होने तथा चाहे गए रास्ते की अति आवश्यकता नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.10.2018 की पालना में यदि प्रार्थीगण से कोई राशि वसुल कर विपक्षीगण को दी गई हो उसे वापिस प्रार्थीगण को दिलाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर